**""उप समाहर्ता सह प्रशासक, दीव ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होनेवाले परिवारों के सदस्यों के साथ की जन-सुनवाई**

**दीव, दिनांक 19/04/2021 :-** भूमि अधिग्रहण, पूनर्वास एवं पुन:स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-251 के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और अन्य बुनियायदी ढॉचे के विकास हेतु दीव में मलाला जंक्शन से बुचरवाड़ा फाटक तक भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए पुर्नवास एवं पुन:स्थापन की धारा 16 के तहत तैयार किए ड्राफ्ट के अनुसार प्रभावित होनेवाले परिवार के सदस्यों /हितधारकों के साथ दीव उप समाहर्ता सह प्रशासक ने जन-सुनवाई की । यह जन-सुनवाई दीव नगरपालिका परिषद के सभाकक्ष में हुई। बैठक में प्रभावित होनेवाले परिवार के सदस्यों की समस्याओं / आपत्तियों को सुना गया । प्रभावित परिवार के सदस्यों ने अपनी आपत्तियों को सिल-सिलेवार ढंग से उप समाहर्ता सह प्रशासक के समक्ष रखा।

सभी आपत्तियों को उप समाहर्ता सह प्रशासक ने सुनने के बाद उन्हें बताया कि आपकी आपत्तियों का नियमानुसार समुचित सत्यापन के पश्चात उक्त कार्य हेतु पनर्वास एवं पुन:स्थापन की धारा 16 के तहत जब अंतिम ड्राफट तैयार होगा उसमें आपकी आपतियो को शामिल किया जाएगा और प्रशासन द्वारा उन आपत्तियों को नियमानुसार निष्पादन करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।